[2021] 9 एस. सी. आर. 993

डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड ए. एन. आर.

बानाम

संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 7546)

14 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सूर्या कांत और विक्रम नाथ, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - धारा 13 (2)-आदेश डी. टी. डी. के तहत सीमा अवधि। 25.02.20 , राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद

निवारण आयोग (एन. सी. डी. आर. सी.) ने उत्तरदाता का लिखित बयान दाखिल करने में 100 दिनों की देरी को माफ कर दिया, बशर्ते कि - इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसले dtd.04.03 के माध्यम से फैसला सुनाया। 20 न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड ने माना कि सीमा

अवधि यू / धारा 13 (2) को 45 दिनों की सांविधिक रूप से निर्धारित अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सका-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ के निर्णय को संभावित प्रभाव दिया गया था-इसमें माफी के लिए आवेदनों के बीच अंतर नहीं किया गया था जो तय किए गए थे और जो निर्णय की तारीख को लंबित थे-इस प्रकार, डैडीज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में निर्णय। मनीषा भार्गव (संविधान पीठ के फैसले के बाद प्रस्तुत) 04.03.20 के समक्ष लंबित या तय किए गए माफी के लिए आवेदनों को प्रभावित नहीं करेंगे, इसके अलावा, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश

सीमित वी। मैम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड और भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। ग्रैंड वेनेज़िया बायर्स एसोसिएशन (भसीन इंफोटेक-2018) ने संविधान पीठ के समक्ष संदर्भ लंबित रहने तक विवेक के एक तत्व को मान्यता दी-वर्तमान मामले में, संविधान पीठ के निर्णय से पहले, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए कारण प्रस्तुत करके देरी को माफ कर दिया गया था-एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है जो देरी को माफ करने के लिए आवेदन की अनुमति देता है।

गुण-दोष पर-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2015 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। मैम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड, दो-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने 10 फरवरी 2017 को न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में संविधान पीठ के संदर्भ के लंबित रहने के दौरान माफी के लिए आवेदनों के संबंध में उपभोक्ता मंचों को निर्देश जारी किए थे। हिल्ली बहुउद्देशीय

कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह, 11 फरवरी 2016 को संविधान पीठ के समक्ष संदर्भ के लंबित रहने के दौरान,

दो-भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। ग्रैंड वेनेज़िया बायर्स एसोसिएशन [भसीन]

इंफोटेक-2018] ने पक्षों को उचित लागत के भुगतान के अधीन निर्धारित सीमा अवधि से परे लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी थी। [पैरा 10] [1000-सी, ई]

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। मम्पी

टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड (2021) 3 एससीसी 673: 2021 (2) स्केल 451; भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। ग्रैंड वेनेज़िया खरीदार

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली
बहुउद्देशीय शीत भंडारण निजी लिमिटेड (2020) 5 एस. सी. सी.

757 : 2020 ए. आई. आर. 1267-संदर्भित।

1.2 डैडीज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। मनीषा भार्गव

(दो-न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ के फैसले के बाद 11 फरवरी 2021 को दिए गए न्यायाधीश पीठ के फैसले), इस अदालत ने एन. सी. डी. आर. सी. के एक फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने माफी के आवेदन को खारिज करने वाले एस. सी. डी. आर. सी. के फैसले की पुष्टि की थी। के लिए आवेदन

गुण-दोष के आधार पर माफी नहीं दी गई थी। हालाँकि, संविधान पीठ के निर्णय के आधार पर डैडीज़ बिल्डर्स में टिप्पणियां हैं, जिसमें कहा गया है कि धारा 13 द्वारा निर्धारित बाहरी सीमा से अधिक देरी को माफ नहीं किया जा सकता था। यद्यपि यह वह स्थिति है जो संविधान पीठ के निर्णय से निकलती है, निर्णय को संभावित बना दिया गया है। डैडीज बिल्डर्स में माफी के लिए आवेदन संविधान पीठ के फैसले के समक्ष दायर किया गया था और गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। इसके निर्णय के लिए डैडीज़ बिल्डर्स में टिप्पणियाँ आवश्यक नहीं थीं, क्योंकि गुण-दोष पर भी, उस मामले में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा माफी का कोई मामला नहीं पाया गया था। रिलायंस डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड ए. एन. आर. में निर्णय को नोटिस करने के बाद डैडीज़ बिल्डर्स में यह अदालत।

वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभिनिर्धारित किया कि उसने संविधान पीठ के समक्ष संदर्भ के लंबित रहने के दौरान मंचों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए विवेकाधिकार छोड़ दिया और उस मामले में, एन. सी. डी. आर. सी. ने देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं पाया। डैडीज़ बिल्डर्स में इस न्यायालय की बाद की टिप्पणी, जिसका तात्पर्य है कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत संविधान पीठ के निर्णय से पहले दायर माफी के आवेदनों पर भी लागू होगा, अनावश्यक थी (एक बार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गुण-दोष पर भी माफी का कोई मामला नहीं था)। इसके अलावा, वे टिप्पणियां उस कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं हैं जो संविधान पीठ ने अपने निर्णय को संभावित प्रभाव दिया था। [पारस 11,14] [1001-सी; 1005-एफ-एच; 1006-ए-सी]

डैडीज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनीषा भार्गव

(2021) 3 एस. सी. सी. 669-समझाया।

1.3 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 के तहत देरी को माफ करने का विवेकाधिकार विशेष रूप से है

कानून द्वारा सीमित। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और इसके उत्तराधिकारी सामाजिक कल्याण कानून हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से उत्पन्न होने वाले कई प्रक्रियात्मक और मूल प्रश्नों की व्याख्या करने के लिए मुकदमेबाजी करने वाले उपभोक्ताओं का कल्याण मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ ने विवेकाधिकार की प्रकृति को देखते हुए निर्णय को संभावित प्रभाव देना उचित माना। यह माफी के लिए आवेदनों के बीच अंतर नहीं करता था जो तय किए गए थे

और जो निर्णय की तारीख तक लंबित थे। इस प्रकार, डैडीज़ बिल्डर्स में निर्णय उन आवेदनों को प्रभावित नहीं करेगा जो 4 मार्च 2020 से पहले लंबित थे या तय किए गए थे। क्षमा के लिए ऐसे आवेदन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उस पद के लाभ के हकदार होंगे जिसने निर्देश दिया था

उपभोक्ता मंच योग्यता के आधार पर निर्णय देते हैं। इस न्यायालय ने एक उज्ज्वल रेखा मानक को अपनाने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों की व्याख्या की है जो कानूनी स्थिति पर अनिश्चितता को दूर करता है।

उपभोक्ता मंच के समक्ष और आगे की मुकदमेबाजी को रोकता है। वर्तमान मामले में, संविधान पीठ के निर्णय से पहले,

एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा देरी को [2021] 9 एस. सी. आर. के कारण प्रस्तुत करके माफ कर दिया गया था।

इस तरह के विवेक का प्रयोग। भविष्य को ध्यान में रखते हुए

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ के फैसले और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भसीन इंफोटेक 2018 में इस अदालत के आदेशों के प्रभाव से, जिसने संदर्भ के लंबित रहने तक विवेकाधिकार के एक तत्व को मान्यता दी थी, एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है, जिसमें योग्यता के आधार पर देरी को माफ करने के लिए आवेदन की अनुमति दी गई है। [पैरा 15,16] [1006-सी-ई; 1007-ए, सी-जी]

डॉ. ए सुरेश कुमार बनाम अमित अग्रवाल (2021) 7 एससीसी 466;

भसीन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम।

नीमा अग्रवाल और अन्य 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी

1186 ; जे. जे. मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी (2002) 6

एससीसी 635: [2002] 1 पूरक। एस. सी. आर. 469; टॉपलाइन जूते

लिमिटेड वी. निगम बैंक (2002) 6 एस. सी. सी. 33 [2002] 3

एस. सी. आर. 1167; कैलाश बनाम नन्हकू (2005) 4 एस. सी. सी. 480:

[2005] 3 एस. सी. आर. 289; सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन। वी. संघ

भारत का (2005) 6 एस. सी. सी. 344: [2005] 1 पूरक। एससीआर 929;

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हिल्ली बहुउद्देशीय सर्दी

भंडारण (पी) लिमिटेड (2015) 16 एस. सी. सी. 20 संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 1 पूरक। एससीआर 469

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2002] 3 एससीआर 1167

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2005] 3 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2005] 1 पूरक। एससीआर 929

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.7546

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 25.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की उपभोक्ता शिकायत No.2645 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली।

सलिल पॉल, साहिल पॉल, सुश्री मंजीत चावला, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

अमित कुमार सिंह, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, सुश्री चुबालेमला चांग,

अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड ए. एन. आर. वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह अपील 25 फरवरी 2020 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1.

2. 2019 की आई. ए. संख्या 15390,2019 की 15391 का मनोरंजन करते हुए और

सीमित वी। हिल्ली मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड 2 ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 (2) 3 के तहत सीमा अवधि को वैधानिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पैंतालीस दिनों की निर्धारित अवधि।

3. अपीलकर्ताओं ने एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई

3 दिसंबर 2018 को दो बीमा पॉलिसियों के आधार पर। दावा अपीलार्थी के कारखाने में कथित आग लगने के आधार पर किया गया है। 6 दिसंबर 2018 को एन. सी. डी. आर. सी. ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

" सुना है। शिकायत स्वीकार की जाती है, केवल अपवादों के अधीन।

1 " एनसीडीआरसी "

2 2 (2020) 5 एस. सी. सी. 757 ["न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड"] 3 "13 (2) जिला फोरम, यदि धारा 12 के तहत उसके द्वारा 54 [स्वीकार की गई] शिकायत उन वस्तुओं से संबंधित है जिनके संबंध में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा सकता है, या यदि शिकायत किसी सेवा से संबंधित है,

(क) ऐसी शिकायत की एक प्रति विरोधी पक्ष को भेजें जिसमें उसे तीस दिनों की अवधि के भीतर मामले का अपना पक्ष देने का निर्देश दिया जाए या ऐसी विस्तारित अवधि जो पंद्रह दिनों से अधिक न हो जो जिला मंच द्वारा दी जाए; (ख) जहां विरोधी पक्ष, खंड (क) के तहत उसे संदर्भित शिकायत की एक प्रति प्राप्त होने पर, शिकायत में निहित आरोपों से इनकार करता है या विवाद करता है, या जिला मंच द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो जिला मंच उपभोक्ता विवाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगा।

—

((i) शिकायतकर्ता और विरोधी पक्ष द्वारा उसके संज्ञान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर, जहां विरोधी पक्ष शिकायत में निहित आरोपों से इनकार करता है या विवाद करता है, या

((ख) शिकायतकर्ता द्वारा अपने संज्ञान में लाए गए साक्ष्य के आधार पर जहां विरोधी पक्ष मंच द्वारा दिए गए समय के भीतर अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहता है या विफल रहता है;

(ग) जहां शिकायतकर्ता जिला मंच के समक्ष सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला मंच या तो शिकायत को चूक के लिए खारिज कर सकता है या गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 13 (2) के तहत विपक्षी दलों को नोटिस जारी करें जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि यदि विरोधी पक्ष शिकायत में लगाए गए आरोपों का विरोध करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं।
शिकायत में नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करें, जिसमें विफल रहने पर उन्हें लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार है।

बंद हो सकता है।"

4. प्रत्यर्थी को 20 मई 2019 को एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश और दस्तावेजों के एक पूरे सेट के साथ समन प्राप्त हुआ।

5. 26 सितंबर 2019 को, एन. सी. डी. आर. सी. ने अपीलकर्ताओं को देरी को माफ करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। अपीलकर्ताओं ने क्षमा के लिए प्रतिवादी के आवेदन का विरोध किया देरी से। एन. सी. डी. आर. सी. ने 25 फरवरी 2020 के अपने आदेश द्वारा प्रतिवादी को 50,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के अधीन देरी को माफ कर दिया।

6.अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री सलिल पॉल ने प्रस्तुत किया है कि न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए, अतिरिक्त देरी हुई है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 (2) (ए) के साथ पठित धारा 13 (1) (ए) में निर्धारित अवधि, यानी पंद्रह दिनों तक बढ़ाने योग्य तीस दिनों की अवधि को माफ नहीं किया जा सकता था। धारा 13 के प्रावधान धारा 22 द्वारा एन. सी. डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही पर लागू किए गए हैं।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि (i) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय संभावित प्रभाव दिया गया है; (ii) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में निर्णय से पहले और संविधान पीठ को संदर्भ के लंबित रहने के दौरान, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। मम्पी

टिम्बर्स एंड हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने इस क्षेत्र को अनुसरण में आयोजित किया

जिनमें से उपभोक्ता मंचों को उपयुक्त शर्तों पर एक उपयुक्त मामले में 45 दिनों के निर्धारित समय से अधिक समय तक दायर किए गए लिखित बयानों को स्वीकार करने की अनुमति दी गई

थी; और (iii) वर्तमान मामले में, एन. सी. डी. आर. सी. ने देरी को माफ करते हुए अपने विवेक का प्रयोग किया है।

4 (2021) 3 एस. सी. सी. 673 ["रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड"] डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड ए. एन. आर.

वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संविधान पीठ; (iv) इसलिए, आदेश अपील में हस्तक्षेप के योग्य नहीं होगा। अधिक इसलिए कि एन. सी. डी. आर. सी. ने नोट किया कि देरी थी प्रतिवादी द्वारा दूसरे सर्वेक्षणकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण ऐसा हुआ।

8. नए भारत में संविधान पीठ का निर्णय

एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) ने माना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 में लिखित विवरण दाखिल करने के लिए समय की बाहरी सीमा बाध्यकारी है। संविधान पीठ के फैसले का निष्कर्ष नीचे दिया गया है:

यह है कि जिला मंच के पास समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है
15 दिनों की अवधि के बाद शिकायत का जवाब दाखिल करना

30 दिनों के अलावा, जैसा कि धारा 13 के तहत परिकल्पित है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और दूसरे प्रश्न का उत्तर
यह है कि धारा के तहत 30 दिनों की सीमा का प्रारंभिक बिंदु

13 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की तारीख से होगी

शिकायत के साथ नोटिस की प्राप्ति

विरोधी पक्ष, और केवल शिकायत की सूचना की प्राप्ति नहीं।

63. यह निर्णय संभावित रूप से काम करेगा। उल्लिखित प्रश्न

उसी के अनुसार जवाब दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 63 में यह स्पष्ट किया गया है कि

संविधान पीठ ने कहा कि निर्णय संभावित रूप से काम करेगा।

9. नए भारत में संविधान पीठ के फैसले से पहले

एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर), डॉ. जे. जे. मर्चेंट बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का एक फैसला था। श्रीनाथ चतुर्वेदी 3 ने कहा कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए पैंतालीस दिनों से अधिक समय नहीं देने के विधायी आदेश का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें विफल रहने पर कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस न्यायालय के कई परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण

संविधान पीठ। अंततः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि

जिला मंच के पास विवेकाधिकार से परे देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है।

5 (2002) 6 एस. सी. सी. 635 ["डॉ. जे. जे. मर्चेंट"]

" टॉपलाइन शूज लिमिटेड बनाम। निगम बैंक, (2002) 6 एस. सी. सी. 33; कैलाश बनाम। नन्हकू, (2005) 4 एस. सी. सी. 480; सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन। (2) वी. भारत संघ, (2005) 6 एस. सी. सी. 344; जे. जे. मर्चेंट बनाम श्रीनाथ चतुर्वेदी, (2002) 6 एस. सी. सी. 635; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम। हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड, (2015) 16 एस. सी. सी. 20.

[2021] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय जो पहले क्षेत्र में थे, निर्णय को संभावित बनाया गया है। 10. वर्तमान अपील में मुद्दा एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां संविधान पीठ के निर्णय से पहले, एन. सी. डी. आर. सी. ने निर्धारित वैधानिक बाहरी सीमा से परे की अवधि के लिए देरी को माफ कर दिया था। वर्तमान मामले में, एन. सी. डी. आर. सी. ने 4 मार्च 2020 को संविधान पीठ के फैसले से पहले देरी को माफ करने के लिए 25 फरवरी 2020 को अपने विवेक का प्रयोग किया था। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में

(ऊपर), इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 10 फरवरी 2017 को उपभोक्ता मंचों को आवेदनों के संबंध में निर्देश जारी किए थे। संविधान पीठ को निर्देश के लंबित रहने के दौरान माफी। न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 5. हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वृहद पीठ के निर्णय के लंबित रहने तक, संबंधित मंच के लिए यह खुला रहेगा कि वह किसी उपयुक्त मामले में 45 दिनों के निर्धारित समय से आगे दायर लिखित बयान को लागत के भुगतान सहित उपयुक्त शर्तों पर स्वीकार करे और मामले पर आगे बढ़े।

इसी तरह, 11 फरवरी 2016 को संविधान पीठ को निर्देश के लंबित रहने के दौरान, भसीन में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने

इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड v. ग्रैंड वेनेज़िया

खरीदार संघ ने पक्षों को उचित भुगतान के अधीन निर्धारित सीमा अवधि से परे लिखित विवरण दाखिल करने की अनुमति दी थी। खर्च:

" 4. राष्ट्रीय आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने से हमारी राय में न केवल विलंब होगा बल्कि शिकायतकर्ता के लिए पूर्वाग्रह भी पैदा होगा। हमारी राय में उचित मार्ग अपीलार्थी कंपनी को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देना है, जिसमें लगभग एक दिन की देरी हुई थी। हम तदनुसार अपीलार्थी को आज से दो सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देते हैं, बशर्ते कि विरोधी पक्ष को 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए। आयोग लागत जमा करने पर प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब प्राप्त करने के बाद गुण-दोष के आधार पर शिकायतकर्ता के मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकता है। वर्तमान कार्यवाहियों का लंबित रहना आयोग के लिए कोई बाधा नहीं होगी

7 (2018) 17 एस. सी. सी. 255 ["भसीन इंफोटेक-2018"] डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड ए. एन. आर.।

वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

तो। हालाँकि यह इस शर्त के अधीन है कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता उपरोक्त शर्तों पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए तैयार और इच्छुक है। यदि प्रतिवादी शिकायतकर्ताओं को आयोग के समक्ष कार्यवाही जारी रखने पर कोई आपत्ति है तो वे अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इन अपीलों के निपटारे तक ऐसी कार्यवाही पर रोक, जिस स्थिति में कार्यवाही के निपटारे तक रोक रहेगी

वर्तमान अपील "।

11. इसके बाद, डैडीज़ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ का एक और फैसला आया। मनीषा

भार्गव 3. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले के बाद 11 फरवरी 2021 को निर्णय दिया गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें एन. सी. डी. आर. सी. ने 4 सितंबर 2020 के एक फैसले में कर्नाटक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 26 सितंबर 2018 के आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को अदालत के समक्ष उद्धृत किया गया था। उक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि 10 फरवरी 2017 के आदेश में रिलायंस जनरल में घोषित किया गया था

बीमा कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त), यह विशेष रूप से कहा गया था कि यह संबंधित मंचों के लिए लागत के भुगतान सहित उपयुक्त शर्तों पर एक उपयुक्त मामले में 45 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे दायर लिखित विवरणों को स्वीकार करने के लिए खुला होगा। उपरोक्त आदेश का उल्लेख करते हुए, डैडीज़ बिल्डर्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा कि अंततः यह संबंधित मंचों पर छोड़ दिया गया था कि वे एक उपयुक्त मामले में 45 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक लिखित बयान स्वीकार करें। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एन. सी. डी. आर. सी. को अपने गुण-दोष के आधार पर देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं मिला है:

“ 6. अब जहाँ तक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी Ltd.v में इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 10-2-2017 द्वारा पारित आदेश पर निर्भरता है। मैम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर (पी) लिमिटेड, (2021) 3 एस. सी. सी. 673] का संबंध है, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विवादित आदेश [डैडीज बिल्डर्स (पी) लिमिटेड v. द्वारा विस्तार से निपटा गया है। मनीषा भार्गव, 2020 एससीसी ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 697]

पहली अपील। जैसा कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा उचित रूप से देखा गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं था कि सभी मामलों में जहां लिखित बयान

45 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था, देरी को माफ किया जाना चाहिए और लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए। दिनांक 10-2-2017 के आदेश में [रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. मैम्पी टिम्बर्स एंड हार्डवेयर (पी) लिमिटेड, (2021) 3 एस. सी. सी. 673], यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह संबंधित मंच के लिए एक उपयुक्त मामले में 45 दिनों की निर्धारित अवधि से आगे दायर लिखित बयान को स्वीकार करने के लिए खुला होगा, जिसमें लागत का भुगतान और मामले के साथ आगे बढ़ना शामिल है। इसलिए अंततः यह संबंधित मंच पर छोड़ दिया गया कि वह 45 की निर्धारित अवधि के बाद लिखित बयान को स्वीकार करे।

एक उपयुक्त मामले में दिन। "

न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में संविधान पीठ के निर्णय का भी उल्लेख किया:

" 7. जैसा कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा देखा गया है कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद लिखित बयान दायर नहीं किया गया था

सीमा की निर्धारित अवधि। इसलिए राष्ट्रीय

आयोग ने योग्यता के आधार पर देरी को माफ करने के पहलू पर भी विचार किया है। किसी भी मामले में, जे. जे. मर्चेंट [जे. जे. मर्चेंट बनाम। श्रीनाथ चतुर्वेदी,

(2002) 6 एस. सी. सी. 635] और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय की संविधान पीठ का बाद का आधिकारिक निर्णय। हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड, (2020) 5 एस. सी. सी. 757: (2020) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 338], उपभोक्ता मंच के पास 45 दिनों की अवधि के बाद लिखित बयान को स्वीकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र और/या शक्ति नहीं है, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। मनीषा भार्गव, 2020 एससीसी ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 697] विद्वानों द्वारा उत्तीर्ण

राष्ट्रीय आयोग "।

12. डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) में निर्णय के कुछ महीनों बाद, 8 जुलाई 2021 को डॉ. ए. सुरेश कुमार में इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।

वी. अमित अग्रवाल 'को एक तथ्यात्मक स्थिति माना जाता है जहां एन. सी. डी. आर. सी.

न्यू इंडिया एस्योरेंस में संविधान पीठ के फैसले के समक्ष दायर देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन को संक्षेप में खारिज कर दिया गया

कंपनी लिमिटेड (ऊपर)। डॉ. ए. सुरेश कुमार (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि संविधान पीठ का निर्णय कार्यशील था

9 (2021) 7 एस. सी. सी. 466 ["डॉ. ए. सुरेश कुमार"] डायमंड एक्सपोर्ट्स एंड ए. एन. आर.

वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संभावित प्रभाव से, 4 मार्च 2020 से पहले दायर की गई देरी को माफ करने के लिए आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए:

" 2. हमारे विचार में, क्योंकि देरी की माफी के लिए आवेदन संविधान पीठ के फैसले से पहले दायर किया गया था, जो 4-3-2020 [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड v. हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड, (2020) 5 एससीसी 757: (2020) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 338], विलंब की माफी के लिए उक्त आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड [न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड] में संविधान पीठ के फैसले के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

वी. हिल्ली बहुउद्देशीय शीत भंडारण (पी) लिमिटेड, (2020) 5 एससीसी 757: (2020) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 338] क्योंकि उक्त निर्णय संभावित रूप से और लिखित कथन के साथ-साथ आवेदन को भी संचालित करने के लिए था।

विलंब की क्षमा के लिए उक्त निर्णय से बहुत पहले दायर किया गया था। तदनुसार, विवादित आदेश [अमित अग्रवाल बनाम। ए.

एन. सी. डी. आर. सी. के सुरेश कुमार, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एन. सी. डी. आर. सी. 927]
होने के योग्य है, और इसके द्वारा अलग रखा गया है।

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में संविधान पीठ के फैसले का प्रभाव हाल ही में 6 दिसंबर 2021 को भसीन इंफोटेक और अन्य मामलों में इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा देखा गया था। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड v. नीमा अग्रवाल और अन्य 0 न्यायालय एक उपभोक्ता शिकायत और देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन पर विचार कर रहा था जो 4 मार्च 2020 से पहले दायर किया गया था लेकिन संविधान पीठ के फैसले के बाद निर्णय लिया गया था। न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में परस्पर विरोधी स्थितियों को नोट किया:

" 9. इस वाक्यांश का क्या अर्थ होगा, इस संबंध में दो विपरीत विचार सामने आए हैं। "यह निर्णय संभावित रूप से काम करने के लिए" संविधान पीठ के फैसले में अनिवार्य है। डैडीज बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, राज्य आयोग ने शक्ति के पहलू पर संविधान पीठ की राय से पहले देरी को माफ करने के आवेदन को खारिज कर दिया था

10 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1186 ["भसीन इन्फोटेक-2021"] [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और लिखित प्रस्तुति/उत्तर दाखिल करने में निर्धारित 45 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने के लिए उपभोक्ता मंचों का अधिकार क्षेत्र। याचिका

उस निर्णय के खिलाफ 4 तारीख को एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सितंबर, 2020, संविधान पीठ के फैसले के बाद। उस पर

संविधान पीठ के निर्णय का संभावित संचालन, डैडीज़ बिल्डर्स प्राइवेट के मामले में समन्वय पीठ की राय

सीमित (ऊपर) यह था कि निर्णय का संभावित संचालन केवल उन मामलों में लागू होगा जहां 4 मार्च, 2020 से पहले की तारीख को देरी को माफ कर दिया गया था। इस विचार को व्यक्त करते हुए, समन्वय पीठ ने कहा कि पीठ के सदस्यों में से एक भी उक्त संविधान पीठ के फैसले का एक पक्ष था। पीठ की संरचना के संबंध में स्थिति डॉ. ए. सुरेश कुमार (उपरोक्त) के मामले में समान है और उस निर्णय में अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। संविधान पीठ के फैसले की संभावना उन मामलों को शामिल करने के लिए रखी गई है जहां संविधान पीठ के फैसले से पहले देरी की माफी के लिए आवेदन दायर किया गया था, लेकिन जिसका परिणाम संविधान पीठ के फैसले के समय तक निर्धारित नहीं किया गया था।

भसीन इंफोटेक-2021 (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने डॉ. ए. सुरेश कुमार (ऊपर) में उदाहरण का पालन किया और कहा कि संविधान पीठ के संभावित प्रभाव से 4 मार्च 2020 तक लंबित या तय किए गए माफी के लिए आवेदनों के संबंध में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (उपरोक्त) में निर्धारित स्थिति का लाभ सुरक्षित रहेगा:

" 10. हमारे विचार में, न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के संभावित संचालन में उन दोनों मामलों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें लिखित उत्तर दाखिल करने में देरी को लिखित बयान/उत्तर दाखिल करने में देरी की माफी के लिए आवेदन स्वीकार करने के बाद माफ कर दिया गया था और साथ ही ऐसे मामले जहां लिखित उत्तर दाखिल करने में देरी की माफी पर निर्णय लिया गया था।

4 मार्च, 2020 को लंबित है। एक बार आवेदन जमा करने के बाद

देरी की क्षमा, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां ऐसे आवेदनों पर पहले से दायर आवेदनों से पहले की तारीखों पर निर्णय लिया जाता है लेकिन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। हमारे पास यह तय करने के लिए कोई निर्धारित प्रशासनिक तंत्र नहीं है कि इस तरह के आवेदनों पर किस तरह निर्णय लिया जाएगा और उपभोक्ता मंच या अदालतें अपनी सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए व्यक्तिगत मामलों में शामिल विभिन्न प्रासंगिक कारकों के आधार पर अपने विवेक को लागू करती हैं।

डायमंड निर्यात और ए. एन. आर. में। वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

लिखित उत्तर दाखिल करने में देरी की माफी का संबंध है, लिखित उत्तर दाखिल करने में देरी की माफी के लिए उनके आवेदनों पर विचार करने का उनका अधिकार 4 मार्च, 2020 को स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह के अधिकार को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में भी मान्यता दी गई है। इस तरह के अधिकार को केवल विशिष्ट कानूनी प्रावधानों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यदि संविधान पीठ के फैसले ने 45 दिनों की अवधि के बाद लिखित बयान दाखिल करने में देरी करने के अधिकार को पूरी तरह से नकार दिया था, तो ऐसे आवेदकों का अधिकार कायम रह सकता है।
बुझा दिया। लेकिन जैसा कि संविधान पीठ का निर्णय संभावित रूप से काम करना है, उक्त निर्णय की हमारी समझ में, जिन लोगों के पास देरी की माफी के लिए लंबित आवेदन हैं, वे अपने आवेदनों पर विचार करने का अपना अधिकार बनाए रखेंगे। लेकिन हम इस मुद्दे पर कोई निश्चित राय व्यक्त करने से बचते हैं क्योंकि समान ताकत वाली दोनों पीठों ने संविधान के संभावित अनुप्रयोग के तरीके पर अलग-अलग विचार रखे हैं।

न्यायपीठ का निर्णय प्रभावित होगा। हमारी राय में, यह मुद्दा होना चाहिए

एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना "।

हालाँकि, डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) में परस्पर विरोधी स्थिति को देखते हुए, भसीन इंफोटेक-2021 (ऊपर) में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया।

14. दोहराने के लिए, डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने एन. सी. डी. आर. सी. के एक फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने माफी के आवेदन को खारिज करने वाले एस. सी. डी. आर. सी. के फैसले की पुष्टि की थी। क्षमादान के लिए आवेदन को योग्यता के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था। हालाँकि, डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) में टिप्पणियाँ हैं, जो इस पर आधारित हैं

(उपर्युक्त) क्षमा के लिए आवेदन संविधान पीठ के निर्णय के समक्ष दायर किया गया था और गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सख्ती से बोलते हुए, डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) में टिप्पणियाँ इसके निर्णय के लिए आवश्यक नहीं थीं, क्योंकि गुण-दोष पर भी, क्षमा का कोई मामला नहीं था [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस मामले में एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पाया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) मामले में इस अदालत ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (ऊपर) में निर्णय को नोटिस करने के बाद कहा कि उसने संविधान पीठ को संदर्भ के लंबित रहने के दौरान मंचों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए विवेकाधिकार छोड़ दिया और उस मामले में, एन. सी. डी. आर. सी. ने देरी को माफ करने का कोई कारण नहीं पाया। डैडीज़ बिल्डर्स (ऊपर) में इस न्यायालय की बाद की टिप्पणी, जिसका तात्पर्य है कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत संविधान पीठ के निर्णय से पहले दायर माफी के आवेदनों पर भी लागू होगा, अनावश्यक थी (एक बार)।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गुण-दोष पर भी क्षमा का कोई मामला नहीं था)। इसके अलावा, वे टिप्पणियां उस कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं हैं जो संविधान पीठ ने अपने निर्णय को संभावित प्रभाव दिया था।

15. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 13 के तहत देरी को माफ करने का विवेकाधिकार विशेष रूप से

कानून। इसी तरह के वैधानिक प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2015 और दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 में मौजूद हैं।

विभिन्न वैधानिक संदर्भ-पूर्व में मध्यस्थता प्रक्रिया की पवित्रता को सुविधाजनक बनाना और बाद में समय पर निपटान और कॉर्पोरेट पुनर्वास सुनिश्चित करने के विधायी इरादे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और इसके उत्तराधिकारी सामाजिक कल्याण कानून हैं जो उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

उपभोक्ताओं के हित। संविधान पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की थी:

" 28. यह सच है कि "जल्दबाजी में न्याय न्याय को दफन कर देने के बराबर है"। लेकिन उसी सांस में यह भी कहा जाता है कि "न्याय में देरी न्याय से इनकार है"। विधायिका ने बाद वाले को चुना है, और एक अच्छे कारण के लिए। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ चलता है, जो उपभोक्ता को त्वरित न्याय प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय है।
विरोधी पक्ष को अस्वीकार कर दिया गया। बस यही विवेक है कि

15 दिनों (30 दिनों की अवधि के बाद) से आगे के समय के विस्तार में कटौती की गई है और इसके लिए परिणाम प्रदान किए गए हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (2) (बी) (ii) के तहत। यह हो सकता है

कि कुछ मामलों में विरोधी पक्ष को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है

इस तरह के प्रावधान के कारण, फिर भी अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो उपभोक्ता विवादों का त्वरित और सरल निवारण है,
पार्टी को होने वाली कठिनाइयों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

यह उपभोक्ता संरक्षण कानून के सामाजिक कल्याण के इरादे के कारण था, जो अनिवार्य रूप से डी. आई. ए. एम. ओ. एन. डी. एक्सपोर्ट और ए. एन. आर. के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है।

वी. संयुक्त भारत बीमा कंपनी लिमिटेड और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उपभोक्ता जो असंख्य वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाते हैं। मुकदमेबाजी करने वाले उपभोक्ताओं का कल्याण उपभोक्ता से उत्पन्न होने वाले कई प्रक्रियात्मक और मूल प्रश्नों की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।

संरक्षण अधिनियम 1986। हाल ही में, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रभाव पर विचार किया, जिसने लंबित कार्यवाही पर उपभोक्ता मंचों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र में संशोधन किया। अपने निर्णय पर पहुँचते हुए, न्यायालय ने कहा:

" 82. इसका श्रेय संसद को देना मुश्किल होगा, जिसका उद्देश्य

2019 के अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की रक्षा करना और उनका समर्थन करना था, जिससे उपभोक्ता मुकदमेबाजी के संचालन में वित्तीय कठिनाई, अनिश्चितता और खर्च बढ़ेगा।

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में संविधान पीठ के निर्णय में भी इसी तरह का सिद्धांत निहित है। हालांकि,

मार्च 2020। माफी के लिए ऐसे आवेदन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में पद के लाभ के हकदार होंगे। सीमित (ऊपर) जिसने उपभोक्ता मंचों को गुण-दोष पर निर्णय देने का निर्देश दिया। हमने एक उज्ज्वल मानक को अपनाने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों की व्याख्या की है जो उपभोक्ता मंचों के समक्ष कानूनी स्थिति पर अनिश्चितता को दूर करता है और आगे के मुकदमेबाजी को रोकता है।

16. वर्तमान मामले में, संविधान के निर्णय से पहले

पीठ, एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा इस तरह के विवेकाधिकार के प्रयोग के कारण प्रस्तुत करके देरी को माफ कर दिया गया था। भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में संविधान पीठ के निर्णय और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) और भसीन में इस न्यायालय के आदेशों का प्रभाव।

इन्फोटेक-2018 (ऊपर), जिसने संदर्भ के लंबित रहने तक विवेकाधिकार के एक तत्व को मान्यता दी थी, हमारा विचार है कि एन. सी. डी. आर. सी. के आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है जो योग्यता पर देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति देता है।

17. अपीलार्थी के विद्वान वकील का कहना है कि

लॉकडाउन के कारण 50,000 रुपये की लागत प्रभावित नहीं हो सकी, लेकिन एक [2]

एन. डी. ड्राफ्ट तैयार है। राशि हस्तांतरित की जाएगी

एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा दो सप्ताह के भीतर

18. अपीलार्थियों को याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

चार सप्ताह की अवधि।

19. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

पांडे

ए.